

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 570]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2010—कार्तिक 6, शक 1932

खेल एवं युवक कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1-15-09-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश खेल और युवा कल्याण तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
		स्थायी	अस्थायी	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	प्रशासक	-	1	1	अराजपत्रित (कार्यपालिक)	9300—34800+3600	
2	जनसम्पर्क अधिकारी	-	1	1	-तदैव-	9300—34800+3600	
3	प्रशिक्षक	-	8	8	-तदैव-	5200—20200+2800	
4	वार्डन	-	1	1	-तदैव-	5200—20200+2800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	वाहन चालक	-	6	6	अराजपत्रित (कार्यपालिक)	5200—20200+1900	
6	अधीक्षक	-	2	2	अराजपत्रित (लिपिकवर्गीय)	9300—34800+3600	
7	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	-	2	2	-तदैव-	9300—34800+3600	
8	वरिष्ठ आडीटर (अंकेक्षक)	-	2	2	-तदैव-	9300—34800+3200	
9	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	1	1	2	-तदैव-	5200—20200+2800	
10	सहायक ग्रेड-एक	-	2	2	-तदैव-	5200—20200+2800	
11	आडीटर (अंकेक्षक)	8	-	8	-तदैव-	5200—20200+2800 5200—20200+2400	भविष्य में की जाने वाली पदोन्नति.
12	लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	1	8	9	-तदैव-	5200—20200+2400	
13	सहायक ग्रेड-दो सह-लेखापाल	-	50	50	-तदैव-	5200—20200+2400	
14	सहायक ग्रेड-दो/स्टोरकीपर	2	22	24	-तदैव-	5200—20200+2400	
15	कम्प्यूटर आपरेटर	-	5	5	-तदैव-	5200—20200+2400	
16	सहायक ग्रेड-तीन	42	83	125	-तदैव-	5200—20200+1900	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले सीधी भरती द्वारा	कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अराजपत्रित कार्यपालिक

खेल एवं युवक कल्याण विभाग.	1. प्रशासक	1	100 प्रतिशत	—	—	—
	2. जनसम्पर्क अधिकारी	1	—	—	100 प्रतिशत	यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर जनसंपर्क विभाग के कर्मचारियों द्वारा भरा जाएगा.
	3. प्रशिक्षक	8	100 प्रतिशत	—	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	वार्डन	1	100 प्रतिशत	—	—	—
5.	वाहन चालक	6	100 प्रतिशत	—	—	—
अराजपत्रित लिपिकवर्गीय						
1.	अधीक्षक	2	—	100 प्रतिशत	—	—
2.	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	2	—	100 प्रतिशत	—	विभाग में उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में, विभाग के अन्तर्गत संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति या संविलियन द्वारा.
3.	वरिष्ठ आडीटर (अंकेक्षक)	2	—	100 प्रतिशत	—	—
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	2	100 प्रतिशत	—	—	—
5.	सहायक ग्रेड-एक	2	—	100 प्रतिशत	—	—
6.	आडीटर (अंकेक्षक)	8	—	100 प्रतिशत	—	—
7.	लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	9	—	100 प्रतिशत	—	—
8.	सहायक ग्रेड-दो सह-लेखापाल	50	—	100 प्रतिशत	—	—
9.	सहायक ग्रेड-दो/स्टोरकीपर	24	—	100 प्रतिशत	—	—
10.	कम्प्यूटर आपरेटर	5	100 प्रतिशत	—	—	—
11.	सहायक ग्रेड-तीन	125	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी से.	—	25 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों तथा पुरानी हायर सेकेण्ड्री अथवा 10+2 से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हों, नियुक्त किए जाएंगे.

ग—वाहन चालकों के पद चयन द्वारा भरे जाएंगे तथा सीधी भर्ती के अन्य पद प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाएंगे.

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	मेरिट सूची तैयार करने हेतु निर्धारित अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अराजपत्रित कार्यपालिक					
खेल एवं युवक कल्याण विभाग.	1. प्रशासक	18	35	1. एम.पी.एड.	60 प्रतिशत से अधिक—30 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —25 अंक 50 प्रतिशत से कम —20 अंक
				2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				3. राष्ट्रीय खेल तथा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (सीनियर ग्रुप के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप) उपलब्धि अथवा सहभागिता.	प्रथम स्थान —50 अंक द्वितीय स्थान —40 अंक तृतीय स्थान —30 अंक सहभागिता —10 अंक
				4. विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी.	—100 अंक
	2. प्रशिक्षक	18	35	1. बी.पी.एड.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				3. एन.आई.एस. डिप्लोमा/शारीरिक शिक्षा में एमफिल/पीएचडी./एल.एन.आई.पी.ई. कोचिंग में जी.पी. डिप्लोमा.	—100 अंक
				4. विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी.	—100 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	वार्डन	18	35	1. बी.पी.एड.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
4.	वाहन चालक	18	35	1. मिडिल स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. भारी तथा हल्के वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति.	—30 अंक

अराजपत्रित लिपिक वर्गीय

1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	18	35	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण.	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :—	60 प्रतिशत से अधिक—20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
				(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(3) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(4) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से "मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट" पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी आशुलिपि तथा मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा.	—50 अंक
2. कम्प्यूटर आपरेटर.	18	35	1. स्नातक.	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक	
			2. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :—	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक	
			(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.		
			(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.		
			(3) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण.		
			(4) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से "मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट" पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.		
			3. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा.	—50 अंक	
3. सहायक ग्रेड-तीन	18	35	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश या अन्य किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा पुरानी प्रणाली से या हाईस्कूल परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्धति से) उत्तीर्ण की हो :—	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक	
			2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परीक्षा परिषद् या किसी अन्य मान्यताप्राप्त बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा.	—50 अंक	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो :—	60 प्रतिशत से अधिक —20 अंक 59 प्रतिशत से 50 प्रतिशत —15 अंक 50 प्रतिशत से कम —10 अंक
			(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.		
			(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा स्तर पर कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.		
			(3) किसी डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण.		
			(4) किसी शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से "मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट" पाठ्यक्रम उत्तीर्ण.		

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जायेगी	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	पदोन्नति के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

अराजपत्रित लिपिक वर्गीय

खेल एवं युवा कल्याण विभाग	1. वरिष्ठ आडीटर (अंकेक्षक).	अधीक्षक	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक	—अध्यक्ष
	2. आडीटर (अंकेक्षक) (वेतनमान 5200—20200+2800).			2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—सदस्य —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2.	सहायक ग्रेड-एक (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा (अंकेक्षक) उत्तीर्ण). आडीटर (अंकेक्षक)/ लेखापाल (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण).	वरिष्ठ आडीटर	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
3.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-तीन	स्टेनोग्राफर ग्रेड-दो	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
4.	सहायक ग्रेड-दो सह लेखापाल, सहायक ग्रेड-दो/ स्टोर कीपर.	सहायक ग्रेड-एक	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
5.	सहायक ग्रेड-तीन (लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण).	आडीटर लेखापाल	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य
6.	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो सह-लेखापाल सहायक ग्रेड-दो/ स्टोरकीपर.	5 वर्ष	1. संयुक्त संचालक 2. उप संचालक 3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिकारी.	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जी. गिल्लनौरे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2010

क्र. एफ-1-15-2009-नौ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जी. गिल्लनौरे, उपसचिव.

Bhopal, the 28 October 2010

No. F-1-15-09-IX.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Sports and Youth Welfare Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules 2008, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for schedule I, II, III and IV the following Schedules shall respectively be substituted, namely :—

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and number of Posts included in the Service

S.No. (1)	Name of the posts included in the Service (2)	Number of posts			Classification (6)	Scale of posts (7)	Remark (8)
		Premanent (3)	Temporary (4)	Total (5)			
1	Administrator	-	1	1	Non-Gazetted (Executive)	9300—34800+3600	
2	Public Relation Officer	-	1	1	-do-	9300—34800+3600	
3	Coach	-	8	8	-do-	5200—20200+2800	
4	Warden	-	1	1	-do-	5200—20200+2800	
5	Driver	-	6	6	-do-	5200—20200+1900	
6	Superintendent	-	2	2	Non-Gazetted (Ministerial)	9300—34800+3600	
7	Stenographer Grade-II	-	2	2	-do-	9300—34800+3600	
8	Senior Auditor	-	2	2	-do-	9300—34800+3200	
9	Stenographer Grade-III	1	1	2	-do-	5200—20200+2800	
10	Assistant Grade-I	-	2	2	-do-	5200—20200+2800	
11	Auditor	8	-	8	-do-	5200—20200+2800 5200—20200+2400	Promotion should be done in future.
12	Accountant (Accounts trained)	1	8	9	-do-	5200—20200+2400	
13	Assistant Grade-II cum-accountant.	-	50	50	-do-	5200—20200+2400	
14	Assistnat Grade-II /Storekeeper	2	22	24	-do-	5200—20200+2400	
15	Computer Operater	-	5	5	-do-	5200—20200+2400	
16	Assistant Grade-III	42	83	125	-do-	5200—20200+2400	

SCHEDULE-II

(See, Rule-6)

Method of Recruitment

Name of Department.	Name of the post included in the Service	Total Number of duty posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment	By Promotion of substantive members of the service	By Transfer of persons from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Non-Gazetted Executive						
Sports and Youth Welfare	1. Administrator	1	100%	—	—	
	2. Public Relation Officer	1	—	—	100%	The post will be filled up by the employees of Public Relation Department from deputation basis.
	3. Coach	8	100%	—	—	—
	4. Warden	1	100%	—	—	—
	5. Driver	6	100%	—	—	—
Non-Gazetted Ministerial						
	1. Superintendent	2	—	100%	—	—
	2. Stenographer Grade-II	2	—	100%	—	In case eligible employees not available in the department, post will be filled up by employees working in the institutions under department by transfer, deputation or absorption.
	3. Senior Auditor	2	—	100%	—	—
	4. Stenographer Grade-III	2	100%	—	—	—
	5. Assistant Grade-I	2	—	100%	—	—
	6. Auditor	8	—	100%	—	—
	7. Accountant (Accounts trained).	9	—	100%	—	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Assistant Grade-II cum-Accountant.	50	—	100%	—	—
9.	Assistant Grade-II/ Storekeeper.	24	—	100%	—	—
10.	Computer Operator	5	100%	—	—	—
11.	Assistant Grade-III	125	75%	25% from Class IVth.	—	25% Class IVth Employees, who completed 5 years of Service and passed old Higher Secondary or 10+2 High School Examination will be appointed.

Note.—The posts of Drivers will be filled up by selection and other posts of direct recruitment will be filled up by competitive examination.

SCHEDULE - III

(See rule 8)

Age and qualification of persons for direct recruitment

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Mini- age Limit (3)	Maxi- age Limit (4)	Prescribed Educational Qualifications (5)	Prescribed Points for preparation of merit list (6)
Non-Gazetted Executive					
Sports and Youth Welfare	1. Administrator	18	35	1. M.P.Ed.	Above 60% —30 Points 59 to 50% —25 Points less than 50% —20 Points
				2. Passed old Higher Secondary or high School Examination (10+2 Education system) from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60% —20 Points 59 to 50% —15 Points less than 50% —10 Points
				3. National Game and recognized National Championship (recognized National Championship for senior group) participation achievement or participation.	Ist Place —50 Points IInd Place —40 Points IIIrd Place —30 Points —10 Points
				4. Vikram Awardees Players	—100 Points

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Coach	18	35	1. B.P.Ed.	Above 60%	—20 Points
				59 to 50%	—15 Points
				less than 50%	—10 Points
3. Warden	18	35	1. B.P.Ed.	Above 60%	—20 Points
				59 to 50%	—15 Points
				less than 50%	—10 Points
4. Driver	18	35	Passed Middle Examination	Above 60%	—20 Points
				59 to 50%	—15 Points
				less than 50%	—10 Points
				Driving license for heavy and Light Vehicle.	—30 Points

Non-Gazetted Ministerial

1. Stenographer Grade-III	18	35	1. Passed old Higher Secondary or High School Examination (10+2 Education system) form Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60%	—20 Points
				59 to 50%	—15 Points
				less than 50%	—10 Points
			2. Passed Computer Examination from any one of the following recognized institution :—	Above 60%	—20 Points
				59 to 50%	—15 Points
				less than 50%	—10 Points
			(1)Passed diploma level computer examination from any University recognized by U.G.C.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) Passed diploma level computer examination form any Open University recognized by U.G.C.	
				(3) Passed diploma level examination from any D.O.E.A.C.C.	
				(4) Passed Modern Office management Course from any Government Polytechnic College.	
				3. Passed Hindi Shorthand and Typing Examination from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Council or any other recognized Board Certificate will be compulsory.	—50 Points
2. Computer Operator	18	35	1. Graduate	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
			2. Passed Computer Examination from any one of the following recognized institution :—	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
				(1) Passed diploma level computer examination form any University recognized by U.G.C.	
				(2) Passed diploma level computer examination form any Open University recognized by U.G.C.	
				(3) Passed diploma level examination from any D.O.E.A.C.C.	
				(4) Passed Modern Office Management Course from any Government Polytechnic College.	
				3. Passed Hindi Typing Examination from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Council or any other recognized Board Certificate will be compulsory.	—50 Points

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Assistant Grade-III	18	35	1. Passed old Higher Secondary or High School Examination (10+2 Education system) form Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or any other recognized Board.	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
			2. Passed Hindi Typing Examination from Madhya Pradesh Shorthand and Typing Examination Council or any other recognized Board Certificate will be compulsory.		—50 Points
			3. Passed Computer Examination from any one of the following recognized institution :—	Above 60% 59 to 50% less than 50%	—20 Points —15 Points —10 Points
			(1)Passed diploma level computer examination from any University recognized by U.G.C.		
			(2)Passed diploma level computer examination from any Open University recognized by U.G.C.		
			(3)Passed diploma level examination from any D.O.E.A.C.C.		
			(4)Passed Modern Office Management Course from any Government Polytechnic College.		

SCHEDULE - IV

(See Rule 14)

Post to be filled by Promotion

Name of Department	Name of Service or post from which promotion is to be made	Name of service or post to which promotion is to made	Experience for promotion	Name of members of Departmental Promotion Committee (See Rule-13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Non-Gazetted Ministerial

Sports & Youth Welfare Deptt.	1. Senior Auditor 2. Auditor (Pay Scale 5200-20200+2800).	Superintendent	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
-------------------------------	--	----------------	---------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Assistant Grade-I (Passed Accounts Training Examination) Auditor/Accountant (Passed Accounts Training Examination).	Senior Auditor	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
3.	Stenographer Grade-III	Stenographer Grade-II	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
4.	Assistant Grade-II cum Accountant Assistant Grade-II/ Storekeeper.	Assistant Grade-I	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
5.	Assistant Grade-III (Passed Accounts Training Examination).	Auditor/ Accountant.	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member
6.	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II cum-Accountant/ Assistant Grade-II cum-Storekeeper.	5 Years	1. Joint Director — Chairman 2. Deputy Director — Member 3. Any Officer as a representative of SC/ST. — Member

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

P. G. GILLORE, Dy. Secy.